उत्तर प्रदेश ने एस्केलेटर विधेयक और लोकायुक्त संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने **उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024 तथा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया।**

मुख्य बिंदु:

- विधेयक के कानून बनने के बाद **ऊर्जा विभाग की मंज़ूरी के बिना लिफ्ट और एस्केलेटर नहीं लगाए जा सकेंगे।**
  - मरम्मत न कराने और मानकों की अनदेखी करने पर मालिक या संबंधित संस्था पर **जुर्माना लगाया जाएगा।**
  - विधेयक में प्रावधान किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के लिये **पंजीकरण अनिवार्य होगा।**
  - इनका **प्रत्येक पाँच वर्ष में नवीनीकरण कराना होगा,** सालाना परीक्षण कराना होगा और इसके लिये 1500 रुपए शुल्क जमा करना होगा।
- उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024 के तहत **लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त का कार्यकाल आठ वर्ष से घटाकर पाँच वर्ष कर दिया गया** और अधिकतम आयु 70 वर्ष कर दी गई है।
- महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और हरियाणा जैसे राज्यों में लिफ्ट लगाने के लिये अपने कानून हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में इसके लिये ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।
  - इसके लागू होने **से न सिर्फ दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा बल्कि व्यवस्था भी मज़बूत होगी।**

लोकायुक्त

- लोकायुक्त भारतीय संसदीय लोकपाल है, जिसे भारत की प्रत्येक राज्य सरकारों के माध्यम से और उसके लिये निष्पादित किया जाता है।
- यह एक **भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था** है। किसी राज्य में लोकायुक्त व्यवस्था का उद्देश्य लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों, आरोपों की जाँच करना है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uttar-pradesh-passes-escalator-bill-and-lokayukta-amendment-bill-2024